#### HARYANA VIDHAN SABHA

### Bill No. 4- HLA of 2025

### THE HARYANA APPROPRIATION (No. 1) BILL, 2025

#### A

#### Bill

to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Haryana for the services during the financial year ending on the thirty-first day of March, 2025.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India as follows: —

1. This Act may be called the Haryana Appropriation (No.1) Act, 2025.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Haryana, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column 11 of the Schedule appended to this Act, amounting in the aggregate to the sum of ₹ 127,10,51,819/- (One Hundred Twenty - Seven Crore, Ten Lakh Fifty-One Thousand Eight Hundred Ninteen rupees only) towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2024-25 ending on the thirty-first day of March, 2025, in respect of the services specified in column 2 of the said Schedule.

Issue of ₹127,10,51,819/- out of Consolidated Fund of State of Haryana for financial year 2024-25.

3. The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Haryana by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ending on thirty- first day of March, 2025.

Appropriation.

П	М	u	П

No. of demands	Services and purposes	Major Head	Sums not	Sums not exceeding	
	,	Revenue	Grants made by Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	
1	2	3	4	5	6
12	Education (Secon Elementary)/Hig Education (High Technical, Scien Technology)/ W and Child Devel	ther er, ce & omen	₹	₹	₹
,	and Child Devel	2235- Social Securi and Welfare	1,00,000		1,00,000
	*** **********************************	Total	1,00,000		1,00,000
16	Social Justice, Empowerment/V of Schedule Cas and Backward Classes & Anto (SEWA)/Welfard Ex-Servicemen	stes daya			
3 A N		2225- Welfare of Scheduled Ca Scheduled Tr Other Backw Classes and M	ibes, ard		4,00,000
		Total	4,00,000		4,00,000
	Public Works (Building and Roa Transport/Civil				
		2216-Housing	127,05,51,819		127,05,51,819
		Total	127,05,51,819		127,05,51,819
		Grand-Total	127,10,51,819		127,10,51,819

# SCHEDULE

Major Head	Sums not exceeding		Total	Total (Revenue and Capital)	
Capital	Grants made by Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund			
7	8	9	10	11	
₹	₹	₹	₹	₹	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*			
-		. <u> </u>		1,00,000	
	skal ji e i iz a				
		<u> </u>		1,00,000	
	. 0				
	* .				
	(*		98.6		
			7.98V		
				4,00,000	
	Pitames .	-		4,00,000	
0					
				127.05.51.010	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*			127,05,51,819	
				127,05,51,819	
	-			127,10,51,819	

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Bill is introduced in pursuance of articles 204 (1) and 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Haryana of the sums required to meet the supplementary grants made by the Legislative Assembly for expenditure for the financial year 2024-25.

NAYAB SINGH, Chief Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh: The 12th March, 2025.

DR. SATISH KUMAR, Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 12th March, 2025, under proviso to rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

# हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या 4 एच०एल०ए०

हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2025

मार्च, 2025 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से किन्हीं और कतिपय राशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. यह अधिनियम हरियाणा विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, २०२५ कहा जा सकता संक्षेप्त नाम। है।

2. इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची के खाना 11 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनिधक ऐसी राशियां, जो कुल मिलाकर ₹127,10,51,819 / — (केवल एक सौ सत्ताईस करोड़ दस लाख इक्यावन हजार आठ सौ उन्नीस रुपये) होती है, ऐसे विभिन्न खर्चों को चुकाने के लिए, जो उक्त अनुसूची के खाना 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बारे में, मार्च, 2025 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2024—25 के दौरान भुगतान के सिलसिले में होंगे, हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा उपयोग में लाई जा सकेंगी।

वित्त वर्ष 2024—25 के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से ₹127,10,51,819 / — का दिया जाना।

3. इस अधिनियम द्वारा हरियाणा राज्य की संचित निधि में से भुगतान की जाने और उपयोग में लाई जाने के लिए प्राधिकृत राशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, जो मार्च, 2025 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में बताए गए हैं।

विनियोग।

		मुख्य शीर्ष राशियां, जो निम्नलिखित से			जोड़	
मांग	सेवाएँ और	मुख्य शीर्ष		अधिक न हो	गलाखत स	जाड़
संख्या	प्रयोजन			आधक न हा		
	,	राजस्व	-1	विधान सभा	संचित निधि	
				द्वारा किए	पर प्रभारित	
				गए अनुदान		
1	2	3		4	5	6
-				₹	₹	₹
12	शिक्षा(माध्यमिक /					
12	प्राथमिक)/उच्च शि	Trorr	The War			
	(उच्च, तकनीकी, वि	।शान				
	तथा प्रौद्योगिकी)/					
	महिला एवं बाल वि	वेकास				
		2235- साम	ाजिक सुरक्षा	1,00,000		1,00,000
			कल्याण			
						mintal consideration of the second se
		Tot	al	1,00,000	. —	1,00,000
16	सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण/अनु जातियों तथा पिछ	ड़े				
16	सशक्तिकरण / अनु	ड़े एवं				
16	सशक्तिकरण/अनु जातियों तथा पिछ- वर्गों का कल्याण अन्तोदय/भूतपूर्व	ड़े एवं ण	सचित जातियों	4.00.000		4,00,000
16	सशक्तिकरण/अनु जातियों तथा पिछ- वर्गों का कल्याण अन्तोदय/भूतपूर्व	ड़े एवं ण 	सूचित जातियों, स्रियत जनजातिः	4,00,000 ji		4,00,000
16	सशक्तिकरण/अनु जातियों तथा पिछ- वर्गों का कल्याण अन्तोदय/भूतपूर्व	ड़े एवं ण 2225- अनु अनु	सूचित जनजातिय			4,00,000
16	सशक्तिकरण/अनु जातियों तथा पिछ- वर्गों का कल्याण अन्तोदय/भूतपूर्व	ड़े एवं ण 2225- अनु अनु अन्य	सूचित जनजातिय प पिछड़े वर्गों			4,00,000
16	सशक्तिकरण/अनु जातियों तथा पिछ- वर्गों का कल्याण अन्तोदय/भूतपूर्व	ड़े एवं ण 2225- अनु अनु अन्य और	सूचित जनजातिर य पिछड़े वर्गों ए अल्पसंख्यों का			4,00,000
16	सशक्तिकरण/अनु जातियों तथा पिछ- वर्गों का कल्याण अन्तोदय/भूतपूर्व	ड़े एवं ण 2225- अनु अनु अन्य और	सूचित जनजातिय प पिछड़े वर्गों			4,00,000
16	सशक्तिकरण/अनु जातियों तथा पिछ- वर्गों का कल्याण अन्तोदय/भूतपूर्व	ड़े एवं ण 2225- अनु अनु अन्य और	सूचित जनजातिर य पिछड़े वर्गों ए अल्पसंख्यों का			4,00,000
	सशक्तिकरण/अनु जातियों तथा पिछ वर्गों का कल्याण अन्तोदय/भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	ड़े एवं ण 2225- अनु अनु अन् अरे कर	सूचित जनजातिर य पिछड़े वर्गों ए अल्पसंख्यों का	ii,		
16	सशक्तिकरण / अनु जातियों तथा पिछ वर्गों का कल्याण अन्तोदय / भृतपूर्व सैनिकों का कल्याण लोक निर्माण (भवन	ड़े एवं ण 2225- अनु अनु अन् और कल Total	सूचित जनजातिर य पिछड़े वर्गों ए अल्पसंख्यों का	ii,		
	सशक्तिकरण / अनु जातियों तथा पिछ वर्गों का कल्याण अन्तोदय / भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण लोक निर्माण (भवन् सड़कें) / परिवहन /	ड़े एवं ण 2225- अनु अनु अन् और कल Total	सूचित जनजातिर य पिछड़े वर्गों ए अल्पसंख्यों का	ii,		
	सशक्तिकरण / अनु जातियों तथा पिछ वर्गों का कल्याण अन्तोदय / भृतपूर्व सैनिकों का कल्याण लोक निर्माण (भवन	ड़े एवं ण 2225- अनु अनु अन् और कल Total	सूचित जनजातिर य पिछड़े वर्गों ए अल्पसंख्यों का	ii,		
	सशक्तिकरण / अनु जातियों तथा पिछ वर्गों का कल्याण अन्तोदय / भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण लोक निर्माण (भवन् सड़कें) / परिवहन /	ड़े एवं ण 2225- अनु अनु अन् और कल Total	सूचित जनजातिर प्र पिछड़े वर्गों ! अल्पसंख्यों का याण	ii,		
	सशक्तिकरण / अनु जातियों तथा पिछ वर्गों का कल्याण अन्तोदय / भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण लोक निर्माण (भवन् सड़कें) / परिवहन /	ड़े एवं ण 2225- अनु अनु अन्य और कल Total	सूचित जनजातिर प्र पिछड़े वर्गों ! अल्पसंख्यों का याण	ग्रें, 4,00,000		4,00,000
	सशक्तिकरण / अनु जातियों तथा पिछ वर्गों का कल्याण अन्तोदय / भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण लोक निर्माण (भवन् सड़कें) / परिवहन /	ड़े एवं ण 2225- अनु अनु अन्य और कल Total	सूचित जनजातिर प्र पिछड़े वर्गों ! अल्पसंख्यों का याण	ग्रें, 4,00,000		4,00,000
	सशक्तिकरण / अनु जातियों तथा पिछ वर्गों का कल्याण अन्तोदय / भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण लोक निर्माण (भवन् सड़कें) / परिवहन /	ड़े एवं ण 2225- अनु अनु अन् और कल <b>Total</b> न व	सूचित जनजातिर य पिछड़े वर्गों र अल्पसंख्यों का याण स 1	ग्रॅं, <b>4,00,000</b> 27,05,51,819		<b>4,00,000</b> 127,05,51,819

सची

मुख्य शीर्ष	राशिया, जो निम्नलिखि अधिक न हो	त से	जोड़	जोड़ राजस्व और पूंजीगत	
पूंजीगत	विधान सभा संचित निधि द्वारा किए पर प्रभारित गए अनुदान				
7	8	9	10	11	
	₹	₹	₹	₹	
	•				
		_		1,00,000	
				1,00,000	
				-,,	
				4,00,000	
	-		, <u> </u>	4,00,000	
	<del>-</del>			127,05,51,819	
				127,05,51,819	
				127,10,51,819	

# उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204(1) तथा 205 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2024—25 के खर्च के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुपूरक अनुदानों को पूरा करने के लिए हिरयाणा राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित राशियों के विनियोग हेतु उपबन्ध करने के लिए पेश किया जाता है।

नायब सिंह, मुख्य मन्त्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :

डॉ० सतीश कुमार,

दिनांक : 12 मार्च, 2025

सचिव।

अवधेय : उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 12 मार्च, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

11714-H.V.S.-H.G.P., Pkl.